ई–मेल

कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ

संख्या /सा0प्र0/स0सु0/2020

दिनॉकः लखनऊः सितम्बर, 2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988(अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) मे प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा सुविधा के दृष्टिगत किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित मे मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है:–

और जहॉ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा(2) के प्राविधानों के अनुसरण मे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा(1) के अन्तर्गत केंन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित मे उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या–59,1988) की धारा 112 की उपधारा(2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटयान नियमावली, 1998 के नियम–178 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये **" आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे "** के लखनऊ जनपद मे पड़ने वाले भाग के लिए श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नांकित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र0स0	मोटरयान का वर्ग	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर निर्धारित की गयी अधिकतम गति सीमा
01	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है। (एम 1 प्रवर्ग यान)	100 किमी/घण्टा
02	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है। (एम 1 प्रवर्ग यान)	60 किमी/घण्टा
03	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है। (सभी एन प्रवर्ग यान)	60 किमी/घण्टा
04	मोटर साईकिल	60 किमी/घण्टा

आज्ञा से,

(अंकिता शुक्ला)
सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद–लखनऊ।

पृ0सं0 3393 /अधिसूचना/समदिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2–अपर परिवहन आयुक्त(सड़क सुरक्षा) उ0प्र0 लखनऊ।
3–अपर पुलिस महानिदेशक, (यातायात) निदेशालय, उ0प्र0।
4–जिलाधिकारी, लखनऊ।
5–निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट मे प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6–राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(पूर्वी/पश्चिमी) लखनऊ।

24/09/2020

सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद–लखनऊ।

Scanned with CamSc